

राजस्थान सरकार

भूमि

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली

जिला परिषद कार्यालय एवं सिटी पार्क के पास खनिज भवन

Mail Id- me.karoli@rajasthan.gov.in tele. No. 07464-250202

क्रमांक : खअ / करौ / बजरी / 2020 / 350


दिनांक:-14.10.2020

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा निम्न स्थानों पर जब्त की गयी खनिज बजरी के स्टॉक की नीलामी दिनांक 26.10.2020 को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय खनि अभियन्ता, करौली परिसर में की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता बयाना एवं प्रतिभूति राशि का डी0डी0 खनि अभियन्ता, करौली के पक्ष में नीलामी से पूर्व कार्यालय में जमा कराकर बोली में भाग ले सकते हैं।

क्र. सं.	जब्त बजरी का स्टॉक स्थान	अनुमानित मात्रा (टन में)	अनुमानित लागत मूल्य	बयाना राशि	प्रतिभूति राशि
1	निकट ग्राम भंवरपुरा (एकट की झोपडी) तह0 सपोटरा जिला करौली	125			
2	निकट ग्राम श्योसिंह पुरा (पिलवा) तह0 टोडाभीम जिला करौली	100	1,12,500/-	5625/-	11,250/-

नोट:- नीलामी से संबन्धित शर्तों का अवलोकन विभागीय वेबसाईट [mines.rajasthan.gov.in](http://mines.rajasthan.gov.in) पर एवं खनिज बजरी के स्टॉक का अवलोकन संबंधित स्टॉक स्थान पर जाकर किया जा सकता है एवं जब्त स्टॉक के संबंध में विस्तृत विवरण कार्यालय में देखा जा सकता है।

  
(डी.एस. मीना)  
खनि अभियन्ता,  
करौली

## खनिज बजरी नीलामी की शर्तें

1. बोलीदाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पन्नी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
2. बोलीदाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर एवं जीएसटी न0 की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व अनुमानित लागत 1,12,500/- रुपये की 5 प्रतिशत बयाना राशि 5625/- रुपये एवं 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 11,250/- रुपये का डी.डी. खनि अभियन्ता, करौली के पक्ष में कार्यालय में जमा कराना होगा।
4. सफल बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि का डी.डी. खनि अभियन्ता, करौली के पक्ष में बोली समाप्ति पर मौके पर ही जमा करवाना होगा।
5. सफल बोलीदाता को बोली के पश्चात् 3 दिवस में विक्रय मूल्य की अन्तर राशि (75 प्रतिशत) के डी.डी. के साथ-साथ जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. संबन्धित बजट मद में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी।
6. अनुमानित मात्रा से अधिक माल होने पर सफल बोलीदाता को ही अवशेष माल की राशि जमा कराने के पश्चात् ही अवशेष माल को उठाने की अनुमति दी जावेगी। राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. बोली 10/-रुपये प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
8. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण बोली दिनांक से पूर्व स्टॉक स्थान पर जाकर किया जा सकता है।
9. जब्तशुदा बजरी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सफल बोलीदाता को सुपुर्द की जावेगी।
10. बोलीदाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही( लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्च) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय बोलीदाता का ही होगा।
11. सफल बोलीदाता को बोली राशि के अलावा जी.एस.टी., टी.डी.एस. एवं अन्य देय कर नियमानुसार जमा करवाने होंगे।
12. नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय नीलामी कमेटी का होगा एवं नीलामी के संबंध में कोई उज्र /आपत्ती होने पर निर्णय से संबन्धित समस्त अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र करौली होगा।



3. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता) को What's app पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को What's app पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
16. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
19. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
20. खनिज के परिवहन हेतु विभाग के कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्यूअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
21. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार रहेंगी।

